राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 1508/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
सीमा 19 ए] राजेन्द्र नगर] जोधपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपनिदेशक कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 03-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री मानाराम चौधरी, अतिरिक्त निदेशक उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 02-03-2017 के द्वारा बदनसिंह कृषि पर्यवेक्षक ढहरा, व पुष्पेन्द्र सिंह कृषि पर्यवेक्षक तिगोहरा द्वारा की गई शिकायत के संबंध में 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 04-09-2017 के साथ यूओ नोट की प्रति संलग्न कर जाँच प्रक्रियाधीन होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नहीं होना बताया। प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 11-09-2017 की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 05-10-2017 को 1207 पृष्ठ सूचना उपलब्ध करादी गई है। अपीलार्थी से संबंधित पत्रावलियों की सम्पूर्ण प्रतियाँ अपीलार्थी को उपलब्ध करादी गई है। सूचना दिया जाना शेष नहीं होना बताया।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 05-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उपरोक्त पैरा 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ अपीलार्थी की प्राप्ति रसीद दिनांक 05-10-2017 संलग्न की है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त